न्यायालय अपर जिला जज, प्रथम अम्बेडकर नगर।

पीठासीनः—श्री राम विलास सिंह, ''उच्चतर न्यायिक सेवा''

UPAN010018532024

Civil Revision/7/2024

1. रामचन्दर आयु लगभग—71 साल पुत्र रामआसरे
2. प्रेमचन्द आयु लगभग—68 साल पुत्र रामआसरे
3. भाग्यचन्द आयु लगभग—66 साल पुत्र रामआसरे
4. सुखारी आयु लगभग—55 साल पुत्र रामआसरे

समस्त निवासीगण ग्राम मुबारकपुर, परगना व तहसील—टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

श्रीपति आयु लगभग—60 साल पुत्र खुन्नू, निवासी ग्राम—मुबारकपुर, परगना व तहसील—टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर। .....प्रतिउत्तरदाता/विपक्षी

निर्णय

1. प्रस्तुत दीवानी निगरानी, अंतर्गत धारा—115 जा.दी. स.प्र.वाद सं0 33/2019 रातचन्दर आदि बनाम श्रीपति के मामले में सिविल जज (सी0डि0), अम्बेडकरनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.04.2024 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा उक्त स.प्र.वाद में प्रार्थीगण के बाजदायर प्रार्थनापत्र में पत्रावलित प्रार्थना पत्र 5ग2 धारा—5 मियाद अधिनियम को निरस्त किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उक्त स.प्र. वाद के प्रार्थीगण/ निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में, निगरानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण के पिता द्वारा माननीय अवर न्यायालय पर मूलवाद संख्या—510/2001 रामआसरे बनाम श्रीपति प्रतिउत्तरदाता के विरूद्ध संस्थित किया गया था। दौरान विचारण मूलवाद निगरानीकर्तागण के पिता का देहान्त दिनांक 05.09.2008 को हो गया। निगरानीकर्तागण को मूलवाद के चलने की कोई जानकारी नहीं थी। यद्यपि प्रतिउत्तरदाता ने मूलवाद में अपना प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया था और प्रतिदावा की पैरवी हेतु अवर न्यायालय पर प्रतिउत्तरदाता की भी यह जिम्मेदारी थी कि

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.05.01 13:31:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वह मूल वादी के मृत्योपरान्त अपने प्रतिदावा में कायम मुकामी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करता परन्तु उसने जानबूझकर कोई कायम मुकामी प्रार्थनापत्र नहीं दिया। यद्यपि मूलवाद की पत्रावली देखने से ऐसा ज्ञात हुआ कि प्रतिउत्तरदाता ने वादी के मृत्यु की लिखित सूचना अवर न्यायालय पर दी। प्रतिउत्तरदाता ने दिनांक 24.08.2019 को ऐसा कहना शुरू किया कि निगरानीकर्तागण के पिता उनसे मुकदमा लड़कर हार चुके है जिसके बाद निगरानीकर्तागण हल्का लेखपाल से मिले तो हल्का लेखपाल ने बताया कि प्रतिउत्तरदाता ने कोई प्रार्थनापत्र जमीन के सम्बन्ध में थाना टाण्डा में दिया है और प्रार्थनापत्र के साथ कुछ नकले भी दी है जिसे देखकर निगरानीकर्ता को मूलवाद की जानकारी हुई। निगरानीकर्तागण ने दिनांक 26.08.2019 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से मूलवाद का मोआइना करवाया तो ज्ञात हुआ कि निगरानीकर्तागण के पिता द्वारा 510/2001 रामआसरे बनाम श्रीपति अवर न्यायालय पर संस्थित किया था जो वादी के मृत्यु के पश्चात दिनांक 19.10.2011 को उपशमित हो चुका है और निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा यह सलाह दी गयी कि उन्हें उपशमन के आदेश को निरस्त करने सहित बाजदायर प्रार्थनापत्र मय मियाद अधिनियम प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसके वाद निगरानीकर्तागण ने अवर न्यायालय पर बिना विलम्ब किये आवश्यक नकल प्राप्त कर मूलवाद में हुए उपशमन के आदेश को निरस्त करने के साथ बाजदायर प्रार्थनापत्र मय मियाद माफी हेतु प्रार्थनापत्र 5ग2 प्रस्तुत किया जिसे माननीय अवर न्यायालय ने दिनांक 06.04.2024 को निरस्त कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है। माननीय अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 06.04.2024 पारित करते समय अपनी निहित शक्तियों का सद् उपयोग नहीं किया जैसा की आदेश से ही स्पष्ट है कि माननीय अवर न्यायालय ने मियाद माफी प्रार्थनापत्र 5ग2 पर आदेश पारित कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश पारित किया परन्तु बाजदायर प्रार्थनापत्र व उपशमन निरस्तीकरण के प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया। माननीय अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि वाद का निर्णय गुणदोष पर ही किया जाना चाहिए। इसके हेतु मियाद पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। माननीय अवर न्यायालय ने अपने में निहित शक्तियों का समुचित उपयोग नहीं किया और न ही न्यायिक विवेक का उपयोग ही किया। माननीय अवर न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का समुचित अनुपालन नहीं किया। माननीय अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधि के सामान्य सिद्धान्तों की अनदेखी की है। माननीय अवर न्यायालय ने निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अखण्डनीय शपथपत्र पर भी ध्यान न देकर विधिक भूल भी कारित की है। माननीय अवर न्यायालय का आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया है जो हर दशा में निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश मियाद प्रार्थनापत्र कागज संख्या–5ग2 पर पारित करते समय आवश्यक तथ्यों पर विधिक दृष्टि को नहीं अपनाया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अवर न्यायालय श्रीमान सिविल जज सी.डि.महोदय

अम्बेडकरनगर से पत्रावली स.प्र.वाद संख्या–33/2019 रामचन्दर आदि बनाम श्रीपति तलब कर उसमें पारित आदेश दिनांक 06.04.2024 निरस्त करते हुए प्रार्थनापत्र मियाद माफी 5ग2 स्वीकार कर निगरानी स्वीकार करने की कृपा की जाये।

3. विपक्षी की ओर से आपत्ति 21ग2 दाखिल कर यह कथन किया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा बिल्कुल गलत झूठे वाक्यात पर निगरानी प्रस्तुत किया गया है जो हरदशा में खारिज होने योग्य है। निगरानीकर्ता का यह जाहिर करना कि उसे मूलवाद संख्या–510/2001 रामआसरे बनाम श्रीपति की कोई जानकारी नहीं थी बिल्कुल गलत एवं फर्जी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिता रामआसरे ने मुकदमा दायर किया और उनके पुत्रों को कोई जानकारी नहीं थी। निगरानीकर्ताण का यह भी जाहिर करना कि उन्हें दिनांक 24.08.2019 को प्रतिवादी/प्रतिउत्तरदाता के बताने पर मुकदमें की जानकारी हुई तब वे लेखपाल के पास गये मुकदमें की जानकारी हुई बिल्कुल गलत एवं अविश्वसनीय है। वास्तविकता यह है कि निगरानीकर्तागण रामचन्दर आदि के पिता रामआसरे काफी वृद्ध हो चुके थे जो स्वंय मुकदमें की पैरवी नहीं कर पाते थे इसलिए मुकदमें की पैरवी निगरानीकर्ता संख्या–2 रामचन्दर करते थे। निगरानीकर्तागण के पिता रामआसरे की मृत्यु दिनांक 05.09.2008 को हो गयी जिसकी सूचना प्रतिवादी श्रीपति द्वारा दिनांक 06.03.2009 को दी गयी इसके बावजूद निगरानीकर्ता ने कायम मुकामी का कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया और मूलवाद उपशमित हो गया और वाद दिनांक 19.10. 2011 को निरस्त हो गया। निगरानीकर्तागण को मूलवाद होने और चलने और उसकी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी शुरू से रही है परन्तु उन्होंने जानबूझकर मुकदमें की पैरवी में रूचि नहीं दिखाई जिससे मुकदमा उपशमित व खारिज हो गया और बाजदायरा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं दिया। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 06.04.2024 को पारित करते समय निहित शक्तियों का सदउपयोग किया है। माननीय अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित गुणदोष के आधार पर किया है इसलिए प्रस्तुत निगरानी हर दशा में निरस्त होने योग्य है। माननीय अवर न्यायालय ने अपने में निहित शक्तियों का समुचित एवं न्यायिक विवेक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो काउपयोग करने में कोई भूल नहीं की है। माननीय अवर न्यायालय का आदेश जो पारित किया गया है वह हर दशा में बने रहने योग्य है। ऐसे में निगरानी निरस्त करने की याचना की गयी।

4. निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निगरानीकर्तागण ने प्रस्तुत दीवानी निगरानी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2024 के विरूद्ध संस्थित की है जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 5ग2 मियाद अधिनियम जो उपशमन अपास्त किये जाने हेतु तथा आदेश दिनांक–19.10.2011 निरस्त करके मुकदमा अपने मूल नम्बर पर कायम करने हेतु दिया गया था, को खारिज किया गया है। पत्रावली के

अवलोकन से विदित होता है कि स0प्र0वाद संख्या–33/2019 रामचन्दर आदि बनाम श्रीपति में रामचन्दर आदि द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष वाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद को उसके मूल नम्बर पर प्रतिस्थापित करने तथा उपशमन अपास्त करने की याचना की गयी थी तथा प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थनापत्र 5ग2 धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर प्रार्थनापत्र 5ग2 को निरस्त कर दिया गया है। निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी में यह आधार लिया गया है कि माननीय अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 06.04.2024 पारित करते समय अपनी निहित शक्तियों का सद् उपयोग नहीं किया जैसा की आदेश से ही स्पष्ट है कि माननीय अवर न्यायालय ने मियाद माफी प्रार्थनापत्र 5ग2 पर आदेश पारित कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश पारित किया परन्तु बाजदायर प्रार्थनापत्र व उपशमन निरस्तीकरण के प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया। माननीय अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि वाद का निर्णय गुणदोष पर ही किया जाना चाहिए। इसके हेतु मियाद पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। माननीय अवर न्यायालय ने अपने में निहित शक्तियों का समुचित उपयोग नहीं किया और न ही न्यायिक विवेक का उपयोग ही किया। माननीय अवर न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का समुचित अनुपालन नहीं किया। माननीय अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधि के सामान्य सिद्धान्तों की अनदेखी की है। माननीय अवर न्यायालय ने निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अखण्डनीय शपथपत्र पर भी ध्यान न देकर विध्णिक भूल भी कारित की है। माननीय अवर न्यायालय का आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया है जो हर दशा में निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त मूलवाद संख्या–510/2001 रामआसरे आदि बनाम श्रीपति दिनांक 19.10.2011 को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि –''प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया कि दिनांक 04.08.2010 को प्रार्थनापत्र वादी की मृत्यु की सूचना के बावत प्रस्तुत किया गया है। तब से लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। वादी के अधिवक्ता द्वारा कोई कायम मुकामी प्रार्थनापत्र इस दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी के विरूद्ध उपशमित किया जाता है।''

निगरानीकर्तागण द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को निरस्त कर मूलवाद संख्या–510/2001 को अपने मूल नम्बर पर प्रतिस्थापित तथा उपशमन अपास्त करने हेतु बाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और बाजदायर प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र 5ग2 प्रस्तुत किया गया और यह कथन किया गया कि उन्हें मूलवाद की जानकारी नहीं थी। प्रतिउत्तरदाता ने दिनांक 24.08.2019 को ऐसा कहना शुरू किया कि निगरानीकर्तागण के पिता उनसे मुकदमा लड़कर

हार चुके है जिसके बाद निगरानीकर्तागण हल्का लेखपाल से मिले तो हल्का लेखपाल ने बताया कि प्रतिउत्तरदाता ने कोई प्रार्थनापत्र जमीन के सम्बन्ध में थाना टाण्डा में दिया है और प्रार्थनापत्र के साथ कुछ नकले भी दी है जिसे देखकर निगरानीकर्ता को मूलवाद की जानकारी हुई। निगरानीकर्तागण दिनांक 26.08.2019 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से मूलवाद का मोआइना करवाया तो ज्ञात हुआ कि निगरानीकर्तागण के पिता द्वारा 510/2001 रामआसरे बनाम श्रीपति अवर न्यायालय पर संस्थित किया था जो वादी के मृत्यु के पश्चात दिनांक 19.10.2011 को उपशमित हो चुका है और निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा यह सलाह दी गयी कि उन्हें उपशमन के आदेश को निरस्त करने सहित बाजदायर प्रार्थनापत्र मय मियाद अधिनियम प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसके वाद निगरानीकर्तागण ने अवर न्यायालय पर बिना विलम्ब किये आवश्यक नकल प्राप्त कर मूलवाद में हुए उपशमन के आदेश को निरस्त करने के साथ बाजदायर प्रार्थनापत्र मय मियाद माफी हेतु प्रार्थनापत्र 5ग2 प्रस्तुत किया जिसे माननीय अवर न्यायालय ने दिनांक 06.04.2024 को निरस्त कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश पारित किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। धारा–5 मियाद अधिनियम के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सिद्धांत है कि उभयपक्षों को सुनवाई का मौका देकर मामले का निस्तारण गुण–दोष पर किया जाना चाहिए। उक्त के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था Sainik Security vs Sheela Bai 2008 (71) (AIR) 302 (SC) की विधि व्यवस्था में माननीय न्यायालय द्वारा विलम्ब के सम्बंध में ऐसा ही मत व्यक्त किया गया है कि देरी माफी प्रार्थना पत्र में बहुत तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए बल्कि देरी माफी प्रा0 पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को उदारतापूर्वक दृष्किोण अपना कर मामले का निस्तारण करना चाहिए। इसप्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतो एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का समुचित अनुपालन न करके प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय को इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए था कि धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ न देने से वाद का मूल उद्देश्य विफल हो जायेगा तथा पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद का निस्तारण नहीं हो सकेगा। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश को पारित करते समय समस्त तथ्यों पर विचार न करके प्रश्नगत आदेश को पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय को मियाद प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को हर्जे पर स्वीकार करके मामले का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करना चाहिए था। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं उपरोक्त निर्णयज विधियों को दृष्टिगत रखते हुए आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.04.2024 विधि सम्मत् प्रतीत नहीं होता है, और अपास्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत सिविल निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2024 निरस्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ, विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस की जावे। विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह इस निगरानी में दिये गये निष्कर्षो के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थनापत्र 5ग2 अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षों को पुनः सुनकर उक्त प्रार्थनापत्र 5ग2 का निस्तारण गुणदोष के आधार पर करना सुनिश्चित करे। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक–12.06.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

दिनांकः–30.04.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला जज, प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6067

निर्णय, आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः–30.04.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला जज, प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6067